राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.4(ई)76/92/नि.प./अलेसे –III/421-425 दिनांक :– 11.03.2015

आदेश संख्या 156 /2014–15

विभागीय आदेश संख्या 08/2014–15 दिनांक 09.05.2014 द्वारा श्री मधुसूदन शुक्ल (मेरिट नं0 76/92) को कनिष्ठ लेखाकार पद पर 18 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) दिनांक 06.03.2014 से स्वीकृत की गई थी। श्री मधुसूदन शुक्ल की कनिष्ठ लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण दिनांक 06.03.1995 थी, किन्तु सीसीए नियम–17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्डादेश संख्या 1792 दिनांक 09.08.2011 के फलस्वरूप उन्हें द्वितीय एसीपी एक वर्ष देरी से अर्थात 06.03.2013 के स्थान पर 06.03.2014 से स्वीकृत की गई थी।

श्री शुक्ल द्वारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर की अपील के क्रम में प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के आदेश संख्या एफ 13(2) परावि/प्रशा–1/ वि.अ. /तालेड़ा/07/1978 दिनांक 25.11.2014 के अनुसार श्री शुक्ल के विरूद्ध सीसीए नियम, 1958 के नियम–17 के तहत शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या 1792 दिनांक 09.08.2011 (जिसके द्वारा इनकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया था) को अपास्त कर दिया गया है। अतः प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर द्वारा जारी उपरोक्त आदेश के क्रम में श्री मधुसूधन शुक्ल, कनिष्ठ लेखाकार को 18 वर्ष की निरन्तर सेवा दिनांक 06.03.2013 को पूर्ण करने के फलस्वरूप कनिष्ठ लेखाकार पद की द्वितीय एसीपी पे बैण्ड 2 (9300–34800) ग्रेड पे 4800/– में दिनांक 06.03.2014 के स्थान पर 06.03.2013 से संशोधित रूप से स्वीकृत की जाती है।

श्री शुक्ल का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.11(7)वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावें कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है एवं एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरूद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा–पुस्तिका में की जावें।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.4(ई)76/92/नि.प./अलेसे –III/421-425 दिनांक :– 11.03.2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय कोटा।
2. निजी सहायक, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री मधुसूदन शुक्ल, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोटा।
5. निजी/गार्ड फाईल।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–III)